राजस्थान सरकार
वित्त विभाग

क्रमांक प.4(5)/वित्त/व्यय–2/2025 जयपुर, दिनांक 08-04-2026

परिपत्र

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, निगमों, स्वायत्तशाषी संस्थाओं PSUs आदि द्वारा समय–समय पर विभिन्न कार्यक्रम, प्रदर्शनीयों, सेमीनार समारोह आदि का आयोजन किया जाता है।

इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन हेतु राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं राज्य सरकार के अधिनस्थ संस्थाओं के पास आवश्यक सुविधा सम्पन्न भवन, कान्फ्रेंस हाल यथा– आरआईसी, कांन्सटिट्यूशन क्लब, आईजीपीआरएस, एचसीएम रीपा, SIAM दुर्गापुरा में उपलब्ध है।

ये आवश्यक है कि इस प्रकार के सभी आयोजन जहाँ तक संभव हो, राजकीय भवन अथवा राजकीय संस्थाओं के अधीन भवनों में किये जावे। इससे राज्य सरकार द्वारा विकसित की गयी इन सुविधाओं का सुचारू उपयोग हो सकेगा एवं राजकीय निधियों का अनावश्यक व्यय रोका जा सकेगा।

अतः निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, निगमों, स्वायत्तशाषी संस्थाओं, आयोगों आदि द्वारा आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम, प्रदर्शनी, समारोह, बैठक, सेमीनार आदि का आयोजन उपरोक्तानुसार राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के अधिनस्थ संस्थाओं के पास उपलब्ध भवन कान्फ्रेंस हॉल आदि में ही किये जायेगें। किसी विशेष परिस्थिति में यदि निजी स्थल पर कार्यक्रम प्रदर्शनी इवेंट आदि आवश्यक होता है तो निम्नानुसार समिति की बैठक आयोजित करवायी जाकर इससे अनुमति प्राप्त की जायेगीः–

- मुख्य सचिव – अध्यक्ष
- अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव, वित्त – सदस्य
- प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, सामान्य प्रशासन – सदस्य
- आयोजन से संबंधित विभाग के ACS/प्रमुख शासन सचिव – सदस्य सचिव

(वी. श्रीनिवास)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री, वित्त विभाग।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. विभागाध्यक्ष (समस्त)
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (समस्त) अनुभाग।
7. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव